

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

क्रमांक:-प.2(9375)/डीओआईटीसी/2021/08213/2022

जयपुर, दिनांक: 06-12-2022

कार्यालय आदेश

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के निम्नलिखित सूचना सहायक, जिन्होंने दिनांक 01.01.2016 के पश्चात अपने पद पर दो वर्ष की परीक्षाधीन अवधि निरन्तर संतोषजनक पूर्ण कर ली है को वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के नोटिफिकेशन प.15(1) वित्त (नियम)/2017 दिनांक 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 17 के अनुसार सूचना सहायक पद की Pay Matrix के अन्तर्गत L-8 लेविल पर वेतन एवं नियमानुसार भत्ते आहरित/वितरित करने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्रम सं.	मेरिट/रोल नं.	सूचना सहायक का नाम	वर्तमान पदस्थापित विभाग	प्रथम कार्यग्रहण दिनांक	परीक्षाधीन अवधि (दो वर्ष) पूर्ण होने की दिनांक	निर्धारित वेतनमान में उक्तानुसार निर्धारित वेतन के आधार पर वेतन आहरण एवं स्थाईकरण किये जाने की दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	264384	श्रीमती मोना व्यास	कार्यालय तकनीकी शिक्षा निदेशालय, जोधपुर	05.10.2020	04.10.2022	05.10.2022
2	223721	श्री महेन्द्र सिंह राठौड़	जिला कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जालौर	06.10.2020	05.10.2022	06.10.2022
3	289454	श्री कैलाश कुमार	कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सुमेरपुर, पाली	07.10.2020	06.10.2022	07.10.2022

उक्त सभी सूचना सहायको का वेतन निर्धारण सम्बंधित कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के तहत किया जावेगा एवं नियमितकरण/स्थाईकरण के आदेश एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि का इन्द्राज नियमानुसार उक्त कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

वे सूचना सहायक जो सूचना सहायक पद पर कार्यग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सरकार के अधीन अन्य पद पर नियमित रूप से सेवारत रहे कर्मिको को (जिनके द्वारा परीक्षा अवधि में पूर्व पद का वेतन प्राप्त किया जा रहा था) परीक्षाकाल समाप्ति पर वेतन निर्धारण वित्त विभाग की अधिसूचना प.15(1) वित्त (नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के निर्देशानुसार सेवा नियम के नियम 26 के अंतर्गत किया जायेगा।

आज्ञा से,



(सुनील छाबड़ा)

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
3. सम्बंधित कर्मचारी।
4. सम्बंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।



अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी